रजिस्ट्री संख्या डी एल —33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 1995/वैशाख 15, 1917
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 1995/VAISAKHA 15, 1917

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1995

आ. अ. 81(अ):— यतः, आन्ध्र प्रदेश राज्य में, 10-नारसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य, श्री भूपति राज विजय कुमार राजू की मृत्यु के परिणामस्वरूप उक्त सदन में एक स्थान रिक्त हो गया था; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त 10-नारसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपेक्षा करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के अधीन, तारीख 26-4-1995 की अपनी अधिसूचना सं. 100/आ.प्र.—लो. स./1/95(1) जारी की है कि वह उक्त अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्ति भरने के लिए लोक सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दे ;

और यतः निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 100/आ. प्र.लो. सं./1/95 (2) और सं. 100/आ. प्र.लो. स./1/95(3), दोनों तारीख 26-04-1995 के द्वारा उक्त उप निर्वाचन के लिए मतदान का कार्यक्रम और समय नियत किया है; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने तारीख 05-05-1995 के अपने आदेश सं. 100/लो.स./1/95 (1) द्वारा, उसमें व्यक्त कारणों के साथ-साथ यह निश्चय किया है कि उक्त उप-निर्वाचन नहीं कराया जाएगा जैसा कि अधिसूचित किया गया था और अधिसूचनाएं विखंडित की जाती हैं ।

अतः अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 तथा इसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य में 10-नारसपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त उप निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली तारीख 26-4-1995 की अपनी अधिसूचना सं. 100/आ. प्र.—लो. सं./1/95/(1) और उक्त उप निर्वाचन का कार्यक्रम और मतदान का समय नियत करने वाली तारीख 26-4-1995 की अपनी दोनों अधिसूचनाओं, 100/आ. प्र.—लो. स./1/95(2) और 100/आ. प्र.—लो. स./1/95(3) को एतद्-द्वारा विखंडित करता है ।

[सं. 100/आ. प्र.—लो. स./1/95]

आदेश से,

राम किशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1995

O.N. 81(E).—Whereas a vacancy occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Bhupathi Raju Vijaya Kumar Raju, a member elected to that House from 10-Narasapur Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh; and

Whereas, the Election Commission has issued its notification No. 100/AP-HP/1/95(1), dated the 26th April, 1995, under section 149 of the Representation of the People Act, 1951, calling upon the said 10-Narasapur Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh to elect a member to the House of the People to fill the above vacancy in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder; and

Whereas, the Election Commission has fixed the programme and the hours of poll for the said bye-election vide its notification Nos. 100/AP-HP/1/95(2) and 100/AP-HP/1/95(3), both dated the 26th April, 1995; and

Whereas, the Election Commission has vide its order No. 100/HP/1/95(1), dated the 5th May, 1995 for the reasons stated therein decided that inter-alia the aforesaid bye-election shall not be held as notified and the notifications rescinded;

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution, sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, hereby rescinds its notification No. 100/AP-HP/1/95(1). dated the 26th April, 1995 calling the aforesaid bye-election from 10-Narasapur Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh, and also its notifications No. 100/AP-HP/1/95(2) and No. 100/AP-HP/1/95(3), both dated the 26th April, 1995, fixing the programme and the hours of poll for the said bye-election.

[No. 100/AP-HP/1/95]

By Order,

RAM KISHAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995